## सं. 1: चुनिंदा आर्थिक संकेतक

| मद | 2025-26 | 2024-25 | | 2025-26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ति3 | ति4 | ति3 | ति4 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. वास्तविक क्षेत्र (% परिवर्तन)** | | | | | |
| 1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए | 7.9 | 7.8 | 7.1 | 8.0 | 7.9 |
| 1.1.1 कृषि | 3.0 | 5.8 | 3.8 | 1.7 | 3.6 |
| 1.1.2 उद्योग | 9.0 | 9.7 | 10.8 | 10.7 | 6.8 |
| 1.1.3 सेवाएं | 9.0 | 7.9 | 7.0 | 9.4 | 9.7 |
| 1.1ए अंतिम खपत व्यय | 7.4 | 6.2 | 5.3 | 7.6 | 6.8 |
| 1.1बी सकल नियत पूंजी निर्माण | 8.2 | 6.3 | 6.2 | 8.2 | 10.8 |
| | **2025-26** | **2025** | | **2026** | |
| | | **अप्रै.** | **मई** | **अप्रै.** | **मई** |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक | 4.3 | 4.8 | 3.4 | 4.9 | 5.1 |
| **2. मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)** | | | | | |
| 2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक | | | | | |
| 2.1.1 जमाराशियाँ | 13.5 | 9.8 | 9.9 | 12.3 | 12.2 |
| 2.1.2 ऋण# | 16.1 | 10.1 | 9.0 | 16.0 | 17.7 |
| 2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण# | 15.9 | 10.0 | 8.8 | 15.8 | 17.4 |
| 2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश | 4.5 | 9.0 | 8.5 | 3.2 | 4.9 |
| 2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा | | | | | |
| 2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0) | 5.8 | 3.7 | 6.1 | 6.4 | 6.3 |
| 2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3) | 15.3 | 9.4 | 9.3 | 12.8 | 12.0 |
| **3. अनुपात (%)** | | | | | |
| 3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
| 3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 3.3 नकदी-जमा अनुपात | 3.2 | 4.5 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
| 3.4 ऋण-जमा अनुपात | 81.4 | 79.7 | 78.9 | 82.0 | 82.7 |
| 3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात# | 85.4 | -11.2 | 7.3 | ** | & |
| 3.6 निवेश-जमा अनुपात | 26.5 | 29.3 | 28.9 | 26.8 | 27.1 |
| 3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात | 7.2 | -5.8 | 1.5 | ** | & |
| **4. ब्याज दरें (%)** | | | | | |
| 4.1 नीति रेपो दर | 5.25 | 6.00 | 6.00 | 5.25 | 5.25 |
| 4.2 स्थायी रिवर्स रेपो दर | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
| 4.3 स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर* | 5.00 | 5.75 | 5.75 | 5.00 | 5.00 |
| 4.4 सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर | 5.50 | 6.25 | 6.25 | 5.50 | 5.50 |
| 4.5 बैंक दर | 5.50 | 6.25 | 6.25 | 5.50 | 5.50 |
| 4.6 आधार दर | 8.35/10.00 | 9.10/10.40 | 9.10/10.40 | 8.35/9.90 | 8.35/9.90 |
| 4.7 एमसीएलआर (एक दिन के लिए) | 7.70/7.95 | 8.15/8.45 | 8.15/8.25 | 7.70/7.95 | 7.70/7.95 |
| 4.8 मीयादी जमा दर >1 वर्ष | 6.00/6.60 | 6.00/7.15 | 6.00/6.85 | 6.00/6.60 | 6.00/6.70 |
| 4.9 बचत जमा दर | 2.50/2.50 | 2.70/2.75 | 2.70/2.75 | 2.50/2.50 | 2.50/2.50 |
| 4.10 मांग मुद्रा दर (भारित औसत) | 5.37 | 5.86 | 5.80 | 5.19 | 5.38 |
| 4.11 91-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) प्रतिफल | 5.33 | 5.90 | 5.62 | 5.26 | 5.56 |
| 4.12 182-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) प्रतिफल | 5.54 | 5.93 | 5.63 | 5.50 | 5.73 |
| 4.13 364-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) प्रतिफल | 5.65 | 5.91 | 5.63 | 5.65 | 6.03 |
| 4.14 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियां सममूल्य प्रतिफल (एफबीआईएल) | 7.11 | 6.40 | 6.23 | 7.08 | 6.99 |
| **5. संदर्भ दर और वायदा प्रीमियम** | | | | | |
| 5.1 भा.रु.-अमेरिकी डॉलर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा) | 94.60 | 85.58 | 85.48 | 94.30 | 95.38 |
| 5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा) | 109.16 | 97.12 | 96.94 | 110.14 | 111.11 |
| 5.3 अमेरिकी डॉलर का वायदा प्रीमियम 1-माह (%) | 4.43 | 2.57 | 2.01 | 3.27 | 3.69 |
| 3-माह (%) | 3.51 | 2.34 | 1.87 | 3.29 | 3.52 |
| 6-माह (%) | 3.22 | 2.15 | 1.83 | 3.28 | 3.28 |
| **6. मुद्रास्फीति (%)** | | | | | |
| 6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक | 2.1 | 3.3 | 3.0 | 3.5 | 3.9 |
| 6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक | 3.08 | 2.9 | 2.9 | 4.5 | 4.7 |
| 6.3 थोक मूल्य सूचकांक | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 8.4 | 9.7 |
| 6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं | -2.2 | -0.3 | -1.6 | 4.0 | 5.0 |
| 6.3.2 ईंधन और उर्जा | -2.9 | -3.5 | -5.5 | 25.0 | 30.3 |
| 6.3.3 विनिर्मित उत्पाद | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 6.7 | 7.5 |
| **7. विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)** | | | | | |
| 7.1 आयात | 7.5 | 20.0 | -1.3 | 10.0 | 20.6 |
| 7.2 निर्यात | 0.9 | -3.8 | -1.2 | 14.2 | 17.9 |

**टिप्पणी :** भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिनांक 31 मार्च 2018 के सर्कुलर FMRD.DIRD.7/14.03.025/2017-18 के तहत, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (FBIL) ने 31 मार्च 2018 से G-Sec बेंचमार्क का प्रकाशन शुरू कर दिया है। FBIL ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रसार भी शुरू कर दिया है।

1 जुलाई 2023 के बाद के आंकड़ों में गैर-बैंक का बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अनुसार, 15 दिसंबर, 2025 से 'पाक्षिक' की परिभाषा हर दूसरे शुक्रवार से बदलकर किसी महीने की 15 तारीख और अंतिम कैलेंडर दिन कर दी गई है।

*: दिनांक 8 अप्रैल 2022 की प्रेस प्रकाशनी सं. 2022-2023/41 के अनुसार।

**: हर और अंश दोनों ही ऋणात्मक हैं।

&: हर ऋणात्मक है।